

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 1419/11

संस्थित दिनांक-16.12.11

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

कल्ली उर्फ कालीचरण पुत्र लालाराम कोरी
निवासी बंदा बरथरा, हाल सलमपुरा थाना मौ
जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 02.03.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा-458 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.04.11 को रात करीब 11 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत फरियादी प्रथ्वीराज के मकान ग्राम बंधा बरथरा में फरियादी प्रथ्वीराज के मकान जो उसके निवास तथा संपत्ति की अभिरक्षा हेतु प्रयुक्त होता था, उसमें उपहति कारित करने के आशय से तैयार पश्चात् सूर्यास्त पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेशकर रात्रो ग्रहभेदन कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि० की धारा 323 दो काउण्ट का उपशमन किया गया है। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 458 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी प्रथ्वीराज दिनांक 20.04.11 की रात्रि करीब 11 बजे अपने घर के अंदर आंगन में सो रहा था। उस समय अभियुक्त एक अज्ञात व्यक्ति के साथ घर के अंदर घुस आया और जगाकर लकड़ी के बेंड़ा से उसकी मारपीट की। जब उसकी पत्नी लीलादेवी बचाने आई तो उसे भी अभियुक्त ने अज्ञात व्यक्ति के साथ मारपीट की। मारपीट में फरियादी व उसकी पत्नी को चोटें आईं। चिल्लाया तो भीकाराम व किशोरी आ गए जिन्हें व मौहल्ले के लोगों को देखकर अभियुक्त व उसका अज्ञात साथी भाग गए। उक्त आशय की रिपोर्ट

से अप०क०-63/11 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिर० कर गिर० पत्रक बनाया गया, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को पद क० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दि० 20.04.11 को रात करीब 11 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत फरियादी प्रथ्वीराज के मकान ग्राम बंधा बरथरा में फरियादी प्रथ्वीराज के मकान जो उसके निवास तथा संपत्ति की अभिरक्षा हेतु प्रयुक्त होता था, उसमें उपहति कारित करने के आशय से तैयार पश्चात् सूर्यास्त पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेशकर रात्रो ग्रहभेदन कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में प्रथ्वीराज अ०सा० 1, लीलादेवी अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी प्रथ्वीराज अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि 5-6 साल पहले चैत (हिन्दू मास) की रात के 11 बजे की बात है वह घर के बाहर सो रहा था। अभियुक्त शराब के नशे में गालियां दे रहा था। जब फरियादी ने कहा कि यहां से जाओ, उसे सोने दे तो अभियुक्त ने उसके साथ धक्का मुक्की कर दी जिससे वह गिर गया और उसे चोट आई थी। जब उसकी पत्नी बीच बचाव करने आई तो उसे भी धक्का दे दिया जिसमें पत्नी को भी चोट आना बताता है। शोर मचाने पर अभियुक्त भाग गया था। इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में करना बताता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई घटना न होने का कथन करता है। लीलादेवी अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में अपने पति प्रथ्वीराज अ०सा० 1 के कथनों की पुष्टि करते हुए 5-6 साल पहले रात करीब 11 बजे की बात बताती है। यह कथन करती है कि उसके पति घर के बाहर सो रहे थे और अभियुक्त शराब के नशे में गालियां दे रहा था। जब पति ने उसे जाने को कहा तो अभियुक्त द्वारा धक्का मुक्की कर दिए जाने और स्वयं बचाव करने जाने पर उसे भी धक्का दिए जाने का कथन करता है। इस प्रकार से उक्त दोनों ही साक्षी अभियुक्त द्वारा धक्का मारकर उन्हें चोट पहुंचाए जाने का कथन करते हैं। किन्तु घटना घर के बाहर की होना बताते हैं।

8. प्रकरण में फरियादी प्रथ्वीराज अ०सा० 1 पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार करता है कि वह किशोरी कोरी के साथ आंगन में सो रहा था और अभियुक्त

तथा एक अन्य व्यक्ति घर के अंदर घुस आए। यह भी अस्वीकार करता है कि अभियुक्त ने उसे लकड़ी के बेंडा से मारा था तथा पत्नी के बचाव करने आने पर उसे भी लकड़ी के बेंडा से मारा था। साक्षी इस सुझाव से इंकार करता है कि भीकाराम और किशोरी ने बचाया था, स्वतः कथन करता है कि वे आरोपी के जाने के बाद आए थे। लीलादेवी अ०सा० 2 सूचक प्रश्नों में घर के आंगन में अभियुक्त का घुस आने तथा लकड़ी के बेंडा से उसके पति व उसे मारपीट किए जाने के तथ्य से स्पष्ट रूप से इंकार करती है।

9. प्रकरण में फरियादी प्रथ्वीराज अ०सा० 1 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि पुलिस ने क्या लिखा उसे नहीं मालूम। साथ ही यह भी स्वीकार करता है कि जब उसने प्र०पी० 1 पर हस्ताक्षर किए तब उस पर कुछ नहीं लिखा था स्वतः कथन करता है कि पुलिस ने कहा था कि तुम डाक्टरी कराओ, हम लिख लेंगे। साक्षी पुलिस कथन प्र०पी० 2 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 के विनिर्दिष्ट भाग के संबंध में ध्यान आकर्षित कराए जाने पर साक्षी द्वारा उक्त भाग की रिपोर्ट व पुलिस कथन के लिखाए जाने से इंकार किया है। लीलादेवी अ०सा० 2 ने भी पुलिस कथन प्र०पी० 3 के विनिर्दिष्ट भाग की ओर ध्यान आकर्षित करने पर उक्त कथन दिए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। इस प्रकार से स्वयं फरियादी व आहत द्वारा घटना के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन न करने से अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

10. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में फरियादी द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है ऐसे में उसके द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया जा रहा है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि फरियादी प्रथ्वीराज अ०सा० 1, लीलादेवी अ०सा० 2 दोनों ने घटनास्थल उनके घर के बाहर का बताया है। साथ ही अभियुक्त द्वारा धक्का देकर चोट पहुंचाए जाने का कथन किया है। प्रकरण में घटनास्थल का नक्शामौका फरियादी के सामने नहीं बनाया गया है और न ही अभियुक्त से कोई बेंडा जब्त किया गया है। साक्षियों ने राजीनामा तो स्वीकार किया है किन्तु राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने का सुझाव अस्वीकार किया है।

11. संहिता की धारा 458 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए आवश्यक है कि सूर्यास्त पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व मानव निवास अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयुक्त स्थान में अपराध—उपहति कारित किए जाने के आशय से तैयारी पश्चात् प्रवेश किए जाने संबंधी अभिलेख पर सारवान साक्ष्य होना आवश्यक है। प्रकरण में अभियोजन की प्रस्तुत साक्ष्य उक्त तथ्यों को प्रमाणित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं बल्कि उसके विपरीत घटनास्थल घर के बाहर तथा मारपीट या उपहति धक्का मारकर चोट पहुंचाने के संबंध में है। ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है। प्र०पी० 1 की रिपोर्ट व प्र०पी० 2 व 3 के कथन सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं।
न्यायदृष्टान्त— रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है

कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तार के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

12. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 20.04.11 को रात करीब 11 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत फरियादी प्रथ्वीराज के मकान ग्राम बंधा बरथरा में फरियादी प्रथ्वीराज के मकान जो उसके निवास तथा संपत्ति की अभिरक्षा हेतु प्रयुक्त होता था, उसमें उपहति कारित करने के आशय से तैयार पश्चात् सूर्यास्त पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेशकर रात्रो ग्रहभेदन कारित किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 458 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी उसके निवेदन पर मुचलका 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

14. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

15. प्रकरण में अभियुक्त निरोध में रहा हो तो इस संबंध में धारा 428 दफ़्तार का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश